

1. अर्जितकारी / कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है
2. पिता / पति का नाम
3. वर्तमान धारित पद
4. वर्तमान वेतन
5. अगली वेतनवृद्धि
6. वर्तमान पद का कुल वेतन

श्री प्रजप सिद्ध शर्मा
 5200-20200 / + 1900hp
 01/07/15
 6910 + 1900hp + DA

उत्त जिले, तहसील तथा नाम, जिसमें स्थित हो।	संभाग, ग्राम का नाम, जिसमें स्थिति हो।	सम्पत्ति का नाम तथा गृह तथा अन्य भवन	तथा भूमि (आवसीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उत्ते किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, "पट्टा", बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से अभियुक्ति कार्रवाई
01	02	03	04	05	06	07	08
जाम - बालखोरा	पच्चापि एम्फत-33	राजस्व निरीक्षण	मण्डल नगर-3	खुखण्ड	नहर इलाहाबाद 5-20	जिला - झापा	
				स्वयं के नाम	250000	शानिशी हाथ रूप	कुछनी
				लात		बिना जाया	

* जहां लागू न हो काट दीजिये।
 * ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।
 * इसमें अल्पका सेन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी :- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बरस नहीं देने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें

हस्ताक्षर
 चन्द्रा शर्मा
 नि. श. सि.